न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

प्रा0पत्रसं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
72 / 24	21.05.2024	27.11.24

उनवान

1. दीनदयाल
2. धोलाराम पुत्रान रामजीलाल कौम अहीर निवासी कुलताजपुर तह0 किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पैरोकार सरकार तह0 खैरथल जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0।
2. जगजीत कौर तथाकथित पुत्री बलबीर सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह जाति सिक्ख निवासी खैरथल जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0एक्ट
आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जा0दी0

उपस्थितिः– **1. प्रार्थीगण की ओर से श्री राजेश कुमार शर्मा एड0।**
2. अप्रार्थीया सं02 की ओर से श्री परमानन्द शर्मा एड0।

निर्णय

प्रा0 पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

विवादित आराजी राजस्व ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल जिला हाल खैरथल–तिजारा मे स्थित हाल आराजी ख0नं0 738 रकबा 1–16 बिस्वा, 737 रकबा 1–1 बिस्वा, 739 रकबा 1–3 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नं0 496 मिन रकबा 1–13 बिस्वा, 496 मिन रकबा 1–1 बिस्वा, 496 मिन रकबा 1–3बिस्वा वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल से कायम किये गये है। विवादित आराजी ख0नं0 739 रकबा 1–3 बिस्वा तथा ख0नं0 738 रकबा 1–16 बिस्वा का अलौटी सुन्दरसिंह पुत्र लद्दासिंह सिक्ख निवासी नूरनगर था। जिसके फौत हो जाने पर सुन्दर सिंह का पौता बलबीर सिंह पुत्र करतारसिंह सिक्ख कर्ता फैमली बना और अलौटी सुन्दर सिंह की तमाम कीमत भूमि व ब्याज अदा कर सनद् पट्टा सं0 1468 दिनांक 21.12.1972 पौता बलबीर सिंह के नाम से जारी की गई। जमाबंदी सं0 2020 के खाता सं0 236 मे साबिक ख0नं0 496 मिन रकबा 1–16बिस्वा पर सुन्दरसिंह पुत्र लद्दासिंह अलोटी दर्ज रिकार्ड है। बलबीरसिंह कर्ता फैमली ने आराजी साबिक ख0नं0 496 मिन रकबा 1–16 बिस्वा को जर्ये रजि0 बैयनामा क0 1164 तहरीर दिनांक 22.12.1972 व तसदीक दिनांक 28.12.1972 को समस्त अधिकारो सहित मिन प्रार्थीगण के पिता रामजीलाल पुत्र भौलू जाति अहीर नि0 कुलताजपुर को प्रतिफल राशि 2000/– रूपये प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

कर बाकब्जा बेचान कर दिया। और बैयनामा के आधार पर इंतकाल सं0 58 दिनांक 18.03.1976 को प्रार्थीगण के पिता के हक मे रकबा 1–13 बिस्वा का तात्कालिन पटवारी नूरनगर द्वारा दर्ज कराकर ग्रा0पं0 नूरनगर द्वारा स्वीकार फरमाया गया। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि पिता प्रार्थीगण ने रकबा 1–16 बिस्वा खरीद कर बैयनामा दिनांक 22.12.1972 भी 1–16 बिस्वा अपने हक मे पंजीकृत करवाया हुआ है। तथा प्रतिफल राशि भी 1–16 बिस्वा की अदा की गई थी। तथा कब्जा भी 1–16 बिस्वा पर बरोज खरीद से 50–51 साल से पिता प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का चला आ रहा है। चूंकि बैयनामा हाल ख0नं0 बनाते समय रकबा 0.03बिस्वा हाल ख0नं0 739 मे 0–03 बिस्वा अंकित करते हुए जमाबंदीयात कायम कर दी। चूंकि बैयनामा सन् 1972 मे पंजीकृत कराया गया था जिसका इंतकाल मुताबिक बैयनाम दिनांक 18.03.1976 को दर्ज व स्वीकार किया गया इसी कदर सनद् पट्टा सं0 1468 के आधार पर इंतकाल खातेदारी भी बलबीरसिंह के नाम दिनांक 18.03.1976 को स्वीकार फरमाया गया। और इसी कदर मिसल हकीयत सं0 2029 खिलाफ कानून व खिलाफ मौका कायम हुई है। इसलिए प्रार्थीगण मुताबिक बैयनामा दिनांक 28.12.1972 के आधार पर 0–03 बिस्वा रकबा ख0नं0 739 मे अंकित 3/23 भाग पर खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है।

पिता प्रार्थीगण ने अपने जीवनकाल मे ख0नं0 737 रकबा 1–1 बिस्वा मिन दयालसिंह पुत्र शेरसिंह जर्ये मुखत्यारआम मंगलसिंह से खरीद की है। व ख0नं0 738 रकबा 1–16 बिस्वा जो हाल दर्ज जमाबंदी 1–13बिस्वा दर्ज रिकार्ड है को जरिये बैयनामा क्र0 1164 दिनांक 22.12.1972 को खरीद किया है इन्ही नम्बरान से लगता हुआ ख0नं0 739 रकबा 1 बिधा वाके नूरनगर पिता वादीगण ने जरिये इकरारनामा खरीदा हुआ है जो तीनो नम्बरान डोल मे डोल लगते हुए है विवादित ख0नं0 साबिक 496 जिसका हाल ख0नं0 739 मे से 0–03 बिस्वा रकबा से विक्रेता बलबीरसिंह अथवा उसके वारिसान का कोई संबंध वो सरोकार/वास्ता कब्जा नही रहा है। विक्रेता बलबीरसिंह काफी समय पूर्व फौत हो चुका है जिसके कोई कानूनी वारिसान भी ग्राम नूरनगर मे आबाद नही है। किन्तू विवादित ख0नं0 739 मे से 3/23 हिस्सा को हडपने की नियत से अप्रार्थी सं0 2 तथाकथित पुत्री बनकर विरास्त इन्तकाल दर्ज कराने की चेष्टा में है तथा 0–03 बिस्वा रकबा पर हम प्रार्थीगण को बेदखल करके दीगर स्थान पर मुंतकिल करने पर आमदा है। चूंकि ख0नं0 739 के 3/23 भाग पर मौजूदा जमाबंदी मे बलबीर सिंह खातेदार अंकित है जिसका बेजा लाभ उठाने की चेष्टा में है। यदि अप्रार्थी सं0 2 ने विरास्त कार्यवाही पूर्ण कराकर हम प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो हकूक प्रार्थीगण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जायेंगें। मौके पर प्राथीगण काबिज है। अतः प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी सं0 2 मिन प्रार्थीगण को उनके रकबे से जबरन बेदखल ना करे ना ही विरास्त इन्तकाल की कार्यवाही करे ना ही विवादित आराजी को अन्यत्र रहव,बय आदि से मुंतकिल करे। दौराने दावे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। ऐसी सूरत में अप्रार्थी सं0 2 जर्ये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा पाबन्द किया जावे कि वो आराजी हाल ख0नं0 739 रकबा 1–03 बिस्वा मे से 3/23 हिस्सा वाके नूरनगर की बाबत अप्रार्थीया सं0 2 विरासत इन्तकाल दर्ज ना कराये, ना ही प्रार्थीगण को जब्रन बेदखल करे, ना ही 3/23 भाग को अन्यत्र कही रहन बैय से मुन्तकिल करे। दौराने वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को को जर्ये नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना जाकर दिनांक 21.05.2024 को इस अमर का अस्थाई निषधाज्ञा जारी किया गया। कि अप्रार्थीगण आराजी ख0न0 739 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा मे से 3/23 हिस्सा वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये रजि0एडी से तलब कर अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पैरोकार पेश किया कि वाद मे वादी स्वयं सिद्ध करे की राजहित प्रभावित नही है। तथा अप्रार्थीया सं0 2 ने मय वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 739 मे से रकबा 3/23 अथवा 03 बिस्वा आराजी को प्रार्थीगण ने गलत तरीके से विवादित बनाया है। प्रार्थीगण का इस आराजी से कोई संबंध वो सरोकार नही है वाद वादीगण हाल खसरा नं0 739 रकबा 03 बिस्वा की बाबत वाद वादीगण/प्रार्थीगण चलने योग्य नही है। खारिज किया जावे। अप्रार्थीया सं0 2 के बुजुर्गान बलबीर सिंह उर्फ दलीप सिंह पुत्र करतारसिंह के द्वारा वादीगण/प्रार्थीगण को 22.12.2017 को जो बैयनामा करवाया गया वो मात्र 1 बीघा 13 बिस्वा का करवाया गया है जिसका इंतकाल भी क्रम सं0 58 के जर्ये ग्राम पंचायत नूरनगर के द्वारा 18.03.1976 को 1 बीघा 13 बिस्वा दर्ज वो मन्जूर हुआ है। 03 बिस्वा आराजी पर अप्रार्थीया सं0 2 के हक में इंतकाल दर्ज व मंजूर राजस्व रिकार्ड में अमल दर्ज हो चुका है। वादीगण/प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। साबिक ख0नं0 496 जिसके हाल ख0नं0 739 रकबा 3 बिस्वा की काबिज काश्तकार खातेदार अप्रार्थीया सं0 2 हैं बलबीर सिंह की पुत्री होने के नाते विरासत का इंतकाल अप्रार्थीया सं0 2 के नाम विधिक वारिस होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अमल दर्ज हो चुका है। शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर गैरकाबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर गैरकाबिज गैरवास्ता है। तथा कोई प्रार्थना पत्र दायर करने का नही है। मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिल इखराज है। जवाब अप्राथीगण प्रस्तुत होने के पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर ताफैसला दावा स्थाई किये जाने का निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थीया ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रा0पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी सं0 2020 मे ख0नं0 496 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के संबंध में सुंदरसिंह पुत्र लद्धासिंह सिक्ख सा0देह अलौटी दर्ज है। बयनामा दिनांक 22.12.1972 की प्रतिलिपि में बलबीरसिंह उर्फ दलीपसिंह पुत्र करतारसिंह जाति सिक्ख द्वारा ख0नं0 496 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि का रामजीलाल पुत्र भोलू जाति अहीर के पक्ष में बेचान का अंकन है। मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबंधन विभाग में साबिक ख0नं0 496 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 496 मिन रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 496 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से क्रमशः 737 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 738 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 739 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बरान पैमूद होने का अंकन है। नामांतरण सं0 57 में ख0नं0 496 मिन रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में विरासत बलबीरसिंह उर्फ दलीपसिंह पुत्र करतारसिंह पोता सुंदरसिंह के नाम दर्ज होने का अंकन है। नामांतरण सं0 58 में ख0नं0 496 मिन रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा हाल ख0नं0 738 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.12.1972 के जरिये रामजीलाल पुत्र भोलू के नाम नामांतरण का अंकन है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आ0ख0नं0 496 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा सुंदरसिंह पुत्र लद्धासिंह की अलौटशुदा आराजी रही है। तथा सुंदरसिंह के वारिस बलबीरसिंह द्वारा रजि0 बयनामा दिनांक 22.12.1972 के जरिये आराजी ख0नं0 496 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का विक्रय प्रार्थीगण के पिता रामजीलाल पुत्र भोलू के पक्ष में किया गया है। परन्तु भू-प्रबंध संक्रियाओं के दौरान उसका रकबा 3 बिस्वा कम कर दिया गया तथा आगे नामांतरण सं0 57,58 में भी 3 बिस्वा रकबा कम अंकित किया गया है। साथ ही अप्रार्थी सं0 2 द्वारा तहसीलदार खैरथल को संबंधित एक पत्र दिनांक 26.10.2023 में आ0ख0नं0 739 रकबा 0.29हे0 में से 3/23 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 के पिता द्वारा बेचान किया गया स्वीकार किया है।

विवादित आराजी के संबंध में अधिकारों का निर्धारण दावें में आवश्यक साक्ष्य, सबूतों एवं सुनवाई उपरांत गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा। परन्तु उपरोक्त विवेचन से फिलहाल प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। इस स्तर पर अस्थायी निषेद्याज्ञा के आदेश को निरस्त किये जाने से प्रार्थी के संभावित हक हकूको के प्रभावित होने की प्रबल संभावना हैं। अतः नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी कों संभावित है तथा सुविधा का संतुलन फिलहाल प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। इसलिए हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.05.24 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 बाबत आराजी खसरा नं0 739 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से 3/23 हिस्सा वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल जिला स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा का अस्थाई आदेश दिनांक 21.05.24 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)